

भारत सरकार और ब्राजील के फेडरल गणराज्य
की सरकार के बीच सांस्कृतिक सहकारिता करार

भारत सरकार और ब्राजील के फेडरल गणराज्य की सरकार, संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति संगठन के संविधान के उच्च आदर्शों की भावना के अनुकूल धनिष्ठतर सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित एवं विकसित करने की सामान्य इच्छा से प्रेरित हो कर, और

भारत और ब्राजील के बीच ऐसे सम्बन्धों और मेल को, विशेष कर संस्कृति, कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और शिक्षा के क्षेत्र में, हर संभव रीति से संप्रवर्धित और विकसित करने की इच्छा से, निम्नलिखित सांस्कृतिक करार करने के लिए सहमत हुई हैं और इस प्रयोजनार्थ उन्होंने अपने अपने पूर्णाधिकारी नाम निर्देशित कर दिए हैं, अर्थात् :

भारत गणराज्य के
राष्ट्रपति

परमश्रेष्ठ श्रीमती इन्दिरा गांधी
प्रधान मंत्री एवं विदेश मंत्री

ब्राजील के फेडरल गणराज्य
के राष्ट्रपति

परमश्रेष्ठ जाज डी मगलायश पिन्टो
परराष्ट्र मंत्री

अनुच्छेद- 1

संविदाकारी पक्षकार विश्वविद्यालयों, उच्चतर शिक्षा की अकादमियों, विद्यालयों तथा संस्थाओं, तकनीकी, वैज्ञानिक एवं कला संस्थाओं, प्रयोगशालाओं और अनुसंधान संस्थाओं, पुस्तकालयों तथा

संग्रहालयों के बीच सहकारिता को सम्प्रवर्धित और प्रोत्साहित करने का प्रयास करेंगे । इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संविदाकारी पदाकार अपने अपने देश के विधान के अनुकूल निम्नलिखित को प्रोत्साहित करेंगे :-

- (क) संस्कृत, शिक्षा, विज्ञान और कला के क्षेत्र में प्रतिनिधियों और शिष्टमण्डलों का विनिमय ; और
- (ख) सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और शैक्षणिक सामग्री का विनिमय, पुस्तकों, पत्रिकाओं तथा अन्य वैज्ञानिक, तकनीकी एवं सांस्कृतिक प्रकाशनों का अनुवाद और विनिमय और जहाँ तक सम्भव हो सके पुरातात्विक नमूनों का विनिमय ।

अनुच्छेद- 2

संविदाकारी पदाकार निम्नलिखित को प्रोत्साहित करेंगे -

- (क) व्याख्यान देने और विशेष पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए प्रोफेसरों और विशेषज्ञों को एक दूसरे के यहाँ भेजना,
- (ख) साहित्यिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, कलात्मक और पत्रकार-संगमों तथा संगठनों के प्रतिनिधियों को एक दूसरे के यहाँ भेजना तथा सम्मेलनों में भाग लेना ।

अनुच्छेद- 3

हर एक संविदाकारी पदाकार सांस्कृतिक, तकनीकी, शैक्षणिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए दूसरे पदाकार के देश के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ अनुदान करेगा ।

अनुच्छेद- 4

हर एक संविदाकारी पदाकार वैज्ञानिक, तकनीकी तथा कला प्रदर्शनियों के विनियम को प्रोत्साहित करेगा ।

अनुच्छेद- 5

दोनों संविदाकारी पदाकार रेडियो, प्रेस और वैसे ही अन्य व्यापक माध्यमों के द्वारा एक दूसरे की संस्कृति की जानकारी के प्रसार को प्रोत्साहित करेंगे ।

अनुच्छेद- 6

दोनों संविदाकारी पदाकार खेलकूद और शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में विनियम को प्रोत्साहित करेंगे ।

अनुच्छेद- 7

दोनों संविदाकारी पदाकार निम्नलिखित क्षेत्रों में विनियम को सुकर करेंगे :

- (क) कलाकारों द्वारा प्रदर्शन ;
- (ख) एक दूसरे अन्तराष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भाग लेना ; और
- (ग) फिल्म, वृत्त चित्र, रेडियो और टेलीविजन कार्यक्रम और डिस्क और टेप रिकार्ड ।

अनुच्छेद- 8

हर संविदाकारी पदाकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि शैक्षिक संस्थाओं के लिए विहित पाठ्य पुस्तकों और अन्य शैक्षिक प्रकाशनों में दूसरे पदाकार के देश के बारे में कोई त्रुटि या मिथ्यावर्णन अन्तर्विष्ट न हो ।

अनुच्छेद- 9

संविदाकारी पदाकार इस बात को सुकर बनाने के लिए अपनी सेवास पेश करेगा कि दोनों देशों के विश्वविद्यालय और अन्य शैक्षिक प्राधिकारी पारस्परिक रूप से उन डिग्रीयों, डिप्लोमाओं और प्रमाणपत्रों को मान्यता दें जो कि उनके द्वारा अपने अपने देशों में अभिभावी विधि के अनुकूल प्रदत्त की जाती हैं ।

अनुच्छेद- 10

भारत सरकार भारत के विश्वविद्यालयों और उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में ब्राजीली-साहित्य और इतिहास के अध्ययन को तथा ब्राजीली-साहित्य और संस्कृति के अध्ययन के लिए केन्द्र स्थापित करने को सुकर बनाएगी और प्रोत्साहित करेगी ।

ब्राजील सरकार ब्राजील के विश्वविद्यालयों और उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में भारतीय-साहित्य और इतिहास के शिक्षा को तथा भारत सम्बन्धी अध्ययन के लिए अपने राज्यक्षेत्र में केन्द्र स्थापित करने को सुकर बनाएगी तथा प्रोत्साहित करेगी ।

अनुच्छेद- 11

विद्यमान करार के उद्देश्य की पूर्ति के लिए सम्यक अनुक्रम में एक संयुक्त आयोग स्थापित किया जाएगा जो हर एक संविदाकारी पदाकार के तीन प्रतिनिधियों से मिल कर गठित होगा और जो हर दो वर्षों में कम से कम एक बार, बारी बारी से नहीं दिल्ली और रिजोडी जेनेरियों में अधिविष्ट होगा। उक्त संयुक्त आयोग में उस संविदाकारी पदाकार के, जिसके राज्यक्षेत्र में अधिवेशन होना हो, उन विभिन्न मंत्रालयों के, जो करार के कार्यान्वयन से सम्पृक्त हों, प्रतिनिधियों को तथा दूसरे पदाकार के राजनयिक मिशन को सम्मिलित किया जा सकेगा।

संयुक्त आयोग निम्नलिखित बातों के लिए उत्तरदायी होगा :-

- (क) दोनों देशों में करार के कार्यक्रम का कालिक पुनर्विलोकन करना ;
- (ख) करार के कार्यान्वयन की विस्तृत रीति के बारे में सम्पृक्त सरकार को सलाह देना ;
- (ग) सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और शैक्षणिक विनिमय कार्यक्रम बनाना और उनकी प्रगति का पुनर्विलोकन करना ;
- (घ) करार की परिधि के अन्तर्गत क्षेत्र की स्त्री मदों की बाबत, जिनमें कोई भी पदाकार हितकक्ष हो, सम्पृक्त पदाकार को सिफारिश करना ; और
- (ङ) साधारणतया उस रीति के बारे में जिससे करार के कार्यक्रम को सुधारा जा सके सम्पृक्त सरकार को सलाह देना।

अनुच्छेद- 12

विद्यमान करार अनुसमयी लिखतों के विनिमय के, जो नहीं दिल्ली

नगर में किया जाएगा, तीस दिन पश्चात् प्रवृत्त होगा और उस तारीख से जिसकी संविदाकारी पदाचारों में से कोई करार को अवसित करने के अपने वाशय की लिखित सूचना दे, छः मास के अवसान तक प्रवर्तन में बना रहेगा ।

जिसके साक्ष्य में पूर्वतर अभिहित पूर्णाधिकारियों ने वतमान करार को हस्ताक्षरित किया और उस पर अपनी मुद्राएं लगाईं ।

रिबोडी जेनेरियो में 1968 के सितम्बर के तेईसवें दिन (तदनुसार शक सम्बत् एक हजार आठ सौ नब्बे के आश्विन मास के प्रथम दिन) हिन्दी, पुर्तगाली, और अंग्रेजी भाषाओं में दो प्रतियों में किया गया । सभी पाठ समानतः प्रामाणिक होंगे किन्तु सन्देह की दशा में अंग्रेजी पाठ अभिभावी होगा ।

भारत सरकार की ओर से



श्रीमती इन्दिरा गांधी

ब्राजील के फेडरल गणराज्य
की सरकार की ओर से


जोसे डी मंगलावस पिनटो



CULTURAL COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE
GOVERNMENT OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF
THE FEDERAL REPUBLIC OF BRAZIL

The Government of India
and

The Government of the Federal Republic of Brazil,
INSPIRED by a common desire to establish and develop
closer cultural relations in the spirit of the high
ideals of the Constitution of the United Nations, Education-
al, Scientific and Cultural Organization, and

DESIROUS of promoting and developing in every possible
manner such relations and understanding between India and
Brazil, especially in the realm of culture, art, science,
technology and education, HAVE AGREED to conclude the following
Cultural Agreement and for that purpose, have nominated their
respective plenipotentiaries i.e. :

The President of the
Republic of India

H.E. Mrs. Indira Gandhi,
Prime Minister and
Foreign Minister

The President of the Federal
Republic of Brazil

H.E. Jose de Magalhaes Pinto,
Minister of External Relations

ARTICLE I

The Contracting Parties shall endeavour to promote and
stimulate cooperation between universities, academies, schools
and institutions of higher learning, technical, scientific and
art institutions, laboratories and research institutions,
libraries and museums. To achieve this objective, the
Contracting Parties shall encourage in accordance with
their respective internal legislation:

- a) exchange of representatives and delegations in
the fields of culture, education, science and arts; and
- b) exchange of cultural, scientific and educational
material, translation and exchange of books, period-
icals and other scientific, technical and cultural
publications, and as far as possible, exchange of
archaeological specimens.

ARTICLE II

The Contracting Parties shall encourage

- a) reciprocal visits of professors and experts for delivering lectures and conducting special courses;
- b) reciprocal visits of representatives of literary, scientific, technical, artistic, and journalists' associations and organizations and participation in congresses.

ARTICLE III

Each Contracting Party shall grant scholarships to students from the country of the other party for post-graduate studies in cultural, technical, education and scientific fields.

ARTICLE IV

Each Contracting Party shall encourage exchange of scientific, technical and art exhibitions.

ARTICLE V

Both Contracting Parties shall encourage dissemination of knowledge of each other's culture through radio, press and similar other mass media.

ARTICLE VI

Both Contracting Parties shall encourage exchanges in the field of sports and physical education.

ARTICLE VII

Both Contracting Parties shall facilitate exchanges in the following fields:

- a) performances by artistes;
- b) participation in each other's international film festivals; and
- c) films, documentaries, radio and television programmes, and recordings on discs and tapes.

ARTICLE VIII

Each Contracting Party shall endeavour to ensure that text-books and other educational publications prescribed for educational institutions do not contain any error or misrepresentation about the country of the other party.

ARTICLE IX

The Contracting Parties shall offer their good offices to facilitate the mutual recognition by universities and other educational authorities in the two countries of the degrees, diplomas and certificates awarded by them in accordance with the laws prevailing in each country.

ARTICLE X

The Government of India shall facilitate and encourage the study of Brazilian literature and history at Universities and institutions of higher teaching in India and the establishment of centres for the study of Brazilian history and culture.

The Government of Brazil shall facilitate and encourage teaching of Indian literature and history at Universities and institutes of higher learning in Brazil and the establishment of centres for Indian studies in its territory.

ARTICLE XI

For the fulfilment of the objective of the present Agreement, a Joint Commission will be established, in due course, composed of three representatives of each Contracting Party, and will meet at least once in every two years, alternatively in New Delhi and Rio de Janeiro. To the said Joint Commission may be added representatives from the various Ministries concerned with the implementation of the Agreement of the Contracting Party in whose territory the meeting is to be held as well as the Diplomatic Mission of the other Party.

The Joint Commission will be responsible for:

- a) keeping under periodical review the working of the Agreement in the two countries;

- b) advising the Government concerned on the detailed manner of carrying out the Agreement;
- c) formulating cultural, scientific and educational exchange programmes and reviewing their progress;
- d) recommending to the Party concerned any items of interest to either Party in the fields within the scope of the Agreement; and
- e) generally advising the Government concerned as to the manner in which the working of the Agreement may be improved upon.

ARTICLE XII

The present Agreement shall come into force thirty days after the exchange of the instruments of ratification, to take place in the city of New Delhi and shall remain into force until the expiry of six months from the date on which one of the Contracting Parties shall give notice in writing of its intention to terminate the Agreement.

IN WITNESS WHEREOF, the Plenipotentiaries designated earlier have signed the present Agreement and affixed their seals thereto.

Done in duplicate at Rio de Janeiro this the 23rd day of September, 1968 (Corresponding to the 1st day of Asvina of the Saka year One thousand eight hundred and ninety) in Hindi, Portuguese and English languages, all the texts being equally authentic, except in the case of doubt when the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF
INDIA

Mrs. Indira Gandhi

FOR THE GOVERNMENT OF THE
FEDERAL REPUBLIC OF BRAZIL

Jose de Magalhaes Pinto